संख्या-2700/77-3-09-एल.सी.021/2007

प्रेषक,

वी.एन.गर्ग,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 30 जुलाई, 2009

विषयः- प्रदेश में निजी सार्वजनिक सहभागिता (पी.पी.पी.) आधार पर अवस्थापना एवं विनिवेश परियोजनाओं हेतु परामर्शी तथा निजी निवेशकों/विकासकर्ताओं के चयन हेतु जारी गाइड-लाइन्स में प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश हेतु उक्त पी.पी.पी./विनिवेश गाइड-लाइन्स में विद्यमान बिडिंग प्रक्रिया विषयक प्राविधान के अन्तर्गत 'स्विस चैलेंज मेथड' लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में विनिवेश प्रक्रिया हेतु निजी निवेशकों के चयन के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या-1684/77-6-2007-एल.सी.21/2007, दिनांक-29 जून, 2007 द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त (गाइड-लाइन्स) के प्रस्तर-3.2.10 में (**BIDDING PROCEDURE TO BE FOLLOWED FOR STRATEGIC SALE IN PSUs**) प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश हेतु अपनाई जाने वाली बिडिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं प्रदेश के व्यापक हित के दृष्टिगत दिनांक 08.07.2009 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में **'स्विस चैलेंज मेथड'** लागू करने पर विचार विमर्श किया गया।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में विनिवेश प्रक्रिया हेतु निजी निवेशकों के चयन सम्बन्धी उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों (गाइड लाइन्स) दिनांक 29 जून, 2007 के प्रस्तर-3.2.10 में प्राविधानित प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश हेतु अपनाई जाने वाली बिडिंग प्रक्रिया के साथ **'स्विस चैलेंज मेथड'** को निम्नवत लागू किये जाने हेतु एक अतिरिक्त प्रस्तर-3.2.11 जोड़ने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2. (क)- 3.2.11 **Swiss Challenge Method**

In case the highest financial bid received is below the reserve/expected price but above 50% of the reserve/expected price, the Govt. of U.P. may apply Swiss Challenge Method (SCM). The highest financial bid would continue to remain valid till the conclusion of the SCM process. The Govt. of U.P. under SCM, would issue a public notice inviting challenge in the nature of fresh bids with same terms of eligibility and other relevant conditions as were applicable for the original bid. The highest financial bid received shall be disclosed and a period of 30-45 day would be given for due diligence and submission of fresh bids. The fresh bids under the SCM process cannot be less than the disclosed highest financial bid received. All original bidders excluding the original highest bidder shall be eligible to submit fresh bids under the SCM process.

As per SCM, the original highest bidder shall have the right of first refusal by matching the highest financial bid received in the fresh bidding process under the SCM. In case the right of first refusal is not exercised by the original highest bidder, the highest bidder in fresh bidding process under SCM shall have the right to award of the contract/assignment. The original highest bidder would have to exercise the right of first of recfusal within a period of 15 days from the date of receipt of notice from the Govt. of U.P. In case no fresh bid is received under the SCM process, the Govt. of U.P. may consider the bid of the original highest bidder even though it was lower than the reserve/expected price.

In case the highest bidder in fresh bidding under SCM refuses to honour his bid, after original highest bidder has not exercised his right of first refusal, the bid security of the highest bidder in fresh bidding under SCM shall be forfeited.

2- (ख)- एक बार बिडिंग प्रक्रिया सफल न होने की दशा में दुबारा बिड आमंत्रित करने अर्थात रिटेण्डर करते समय स्विस चैलेन्स मैथेड की व्यवस्था रखी जायेगी।

भवदीय,

(वी.एन. गर्ग)

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-2700 (1)/77-3-09-तद्‌दिनांक-</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

2- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

3- औद्योगिक विकास विभाग शाखा से सम्बन्धित समस्त अनुभाग।

4- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(प्रभु शंकर)

अनुसचिव।